कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता।

न्यायालय परिसर, मेड़ता।

Email - dlsa27merta@gmail.com
Phone - 01590-220110

क्रमांक :– /जि.वि.से.प्रा.मे./ 01
दिनांक :– 05.10., 2019

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार नागौर जिलें में स्थित निम्नलिखित पंचायत समितियों पर स्थापित विधिक सेवा क्लिनिकों पर पैरा लीगल वॉलेन्टियर के रूप में कार्य करने एवं विभिन्न विधिक जागरूकता कार्यक्रमों हेतु पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से दिनांक 14.10.2019 को शाम 5.00 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं –

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	रिक्त पैरालीगल वॉलेन्टियर पद
1	रियाबड़ी	02
2	नागौर	03
3	खींवसर	02
4	परबतसर	04
5	डीडवाना	04
6	मौलासर	03
7	मकराना	02
8	नावां	02

(1) **शैक्षणिक योग्यता** : आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उतीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।

(2) **आवेदन पत्र** : इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।

(3) **चरित्र** : आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के सम्बन्धी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए ।

(4) **शारीरिक योग्यता** : आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ्य होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नही होना चाहिए।

(5) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावे :

1— जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोप्रति।

2— शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटोप्रति।

3— दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

4— आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए।

5— जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटोप्रति।

6— आधार कॉर्ड की सत्यापित फोटोप्रति।

(6) चयन : पी.एल.वी. चयन करते समय यदि अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो उन्हे Short-listing कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। जिसकी सूचना वेबसाईड पर उपलब्ध करवा दी जावेगी।

(7) पात्र व्यक्ति : आवेदक कम से कम सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं इसके साथ निम्नांकित व्यक्ति भी पी.एल.वी. चयन हेतु आवेदन कर सकते है —
सेवानिवृत अध्यापक/राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम.एस.डब्ल्यू. छात्र व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, विधि छात्र (जब तक वे लायर (वकालत) के लिए एनरोल न हो), गैर राजनीतिक सदस्य, एन.जी.ओ., क्लब्स, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह, अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सक्षम व योग्य समझे।

(8) आवेदन की अन्तिम तिथि : आवेदन पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि दिनांक 14.10. 2019 को सायं 5.00 बजे तक रहेगी। आवेदनकर्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के कार्यालय में अंतिम तिथि तक आवेदन जमा करवा सकेगें। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अंतिम तिथि पश्चात् पैरा लीगल वॉलेन्टियर्स के चयन हेतु साक्षात्कार की तिथि वेबसाईट http://ecourts.gov.in/nagaur पर प्रसारित की जावेगी। आवेदन पत्र वेबसाईट http://ecourts.gov.in/nagaur पर भी उपलब्ध हैं।

(9) चयनित पी.एल.वी. के कर्तव्य (डयूटी) :

1— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधिक सेवा कार्य करना।

2— समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।

3— आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा

लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए वादो का निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।

3– पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षैत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना।

4– पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।

5– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।

6– बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार सम्बन्धी अधिनियमों की अवज्ञा होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जानकारी देना।

7– विवादों का सेटलमेन्ट, प्रिलिटिगेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मिडियेशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।

8– पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षैत्र मे विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों का आयोजन करना एवं उनकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देना।

9– पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जनकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, डाक–तार, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा व अस्पताल सम्बन्धी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते है ।

10– पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षैत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये मेटैरियल को प्रचार व प्रसार करना।

11– पी.एल.वी द्वारा प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यो का इन्द्राज उपलब्ध करवाये गये रजिस्टरों में रखना व रिपोर्ट कार्यालय में समय पर प्रस्तुत करना।

(10) स्पष्टीकरण : <u>यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को केवल उसी पंचायत समिति हेतु आवेदन करना हैं, जिस पंचायत समिति का वह निवासी हो व अपने आवेदन पत्र में पंचायत समिति का नाम आवश्यक रूप से अंकित करना हैं।</u> यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयनित पी.एल.वी. को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता द्वारा समय समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पेकेज नहीं दिया जायेगा। सभी आवेदकों को यह भी सूचित किया जाता हैं कि यह किसी पद के विरूद्ध नियोजन या सेवा संबंधी कार्य नहीं हैं और पी.एल.वी के नाते किया गया चयन या दिया गया प्रशिक्षण कोई अधिकार सृजित नहीं करता है। पी.एल.वी का कार्य स्वैच्छिक विधिक जागरूकता एवं विधिक सेवा कर सामाजिक एवं विधिक जागृति में रूचिकर व्यक्तियों की स्वैच्छिक सेवा प्राप्त करना हैं। इस विज्ञप्ति के जरिये आवेदन या चयन या पीएलवी के रूप में कार्य करने से आवेदक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता के साथ कोई सेवा संविदा नहीं मानी जावेगी।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
मेड़ता।

क्रमांक : 5452-5487 दिनांक : 05.10.2019

प्रतिलिपि –

1. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, तालुका विधिक सेवा समिति, नागौर/परबतसर/डीडवाना मकराना/नावां।
2. उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी/नागौर/खींवसर/परबतसर/डीडवाना/मकराना/नावां।
3. तहसीलदार रियांबड़ी/नागौर/खींवसर/परबतसर/डीडवाना/मौलासर/मकराना/नावां।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति रियांबड़ी/नागौर/खींवसर/परबतसर/डीडवाना/मौलासर/मकराना/नावां।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता।
6. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता।
7. नोटिस बोर्ड, बार संघ मेड़ता/नागौर/परबतसर/डीडवाना/मकराना/नावां।
8. सिस्टम ऑफिसर, DJ Court मेड़ता।

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

मेड़ता।

कार्यालय : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता (नागौर)

सत्यापित फोटो

1. आवेदक का नाम...
2. पिता / पति का नाम ....
3. जन्म तिथि..
4. शैक्षणिक योग्यता ....
5. विशेष योग्यता ....
6. अनुभव ....
7. पुरूष / महिला ....
8. वर्ग (सामान्य / ओबीसी / एससी / एसटी)...
9. पंचायत समिति का नाम जिसमें आवेदक
   सेवाऐं देने का इच्छुक हों ....
10. स्थायी पता ....

....

....

11. वर्तमान पत्राचार पता ....

....

....

12. दूरभाष व मोबाईल नंबर ....
13. ई–मेल ....

आवेदक के हस्ताक्षर

–: सहमति पत्र :–

मैं ....पुत्र / पुत्री / पत्नी....................................
....निवासी ....
ने विज्ञप्ति एवं उसमें अंकित शर्तो का पूर्णतया अवलोकन कर लिया हैं एवं मैं विधिक सेवा केन्द्रों पर संचालित होने वाले कार्यो के लिए पैरालीगल वॉलेन्टियर (पीएलवी) की सेवाऐं देने बाबत् विज्ञप्ति अनुसार अपनी सहमति प्रदान करता / करती हूं।

आवेदक के हस्ताक्षर